न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–302/2026

1. कमलेश पासवान पिता गणेशी पासवान,
2. रामअनुज पासवान पिता गणेशी पासवान,
3. नवलेश पासवान पिता गणेशी पासवान,
4. सुलेखा देवी पति सुरेन्द्र पासवान,
5. रंजू देवी पति नवलेश पासवान,
6. सुशीला देवी पति कमलेश पासवान,
7. गुड्डू पासवान पिता बालेश्वर पासवान,
8. सोनू कुमार पिता बालेश्वर पासवान,
9. गणेशी पासवान पिता माधव पासवान,
10. हीरामणि देवी पिता कमलेश पासवान,
11. कुसूम देवी पति गणेश पासवान,
12. चनपतिया देवी पति प्रसिद्ध पासवान,
13. रानी कुमारी पति सोनू पासवान,
14. शारदा देवी पति गुड्डू पासवान,
15 बालेश्वर प्रसाद पिता स्व0 शिव पासवान,
16. सुरेन्द्र पासवान पिता गणेशी पासवान।

साकिनान–लखापुर, थाना–पालीगंज, जिला–पटना।

––––– अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से– श्री नंदकिशोर शर्मा अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

12.03.2026 पालीगंज थाना कांड संख्या–05/2026 धारा–126(2),115(2),74,76,79,352,351(2),303(2),3(5)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक–01.01.2026 को शाम 06.00 बजे मेरे घर के पश्चिम देवी स्थान में दीपक जलाकर घर वापस आ रही थी, रास्ते में रंजू देवी मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गयी और भद्दी–भद्दी गालियॉ देने लगी, प्रतिकार करने पर बाल पकड़कर नीचे गिरा दी। मौके पर खड़ा उसका पति नवलेश मुझपर लात, घुसा से आक्रमण कर

दिया। रंजू देवी कान के दोनों बाली व सोने की सीकड़ी छीन ली। मैं घायल होकर चिल्लाने लगी तभी मौके पर और सभी अभियुक्त गाली–गलौज व धक्का–मुक्की करने लगे। हल्ला सुनकर मेरे परिवार के बीच–बचाव किये, इसके बाद बेहोश हो गयी और मैं घर पर ही ईलाज करवायी। तबीयत ठीक होने पर दिनांक–03.01.2026 को मुकदमा दर्ज करवायी। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि धारा–303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर शेष सभी धारायें जमानतीय है। जप्ती–सूची भी अभिलेख पर नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करने व एक–एक जमानतदार निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण/गिरफ्तार होने पर धारा–438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें

–

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।